ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –02/2020
दायर दिनांक –27.01.2020
निर्णय दिनांक –11.04.2022
जीसीएमएस नं0 –2020/00016

प्रार्थीगण

1. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति रावत
2. भागूसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति रावत

समस्त निवासी ग्राम पुष्कर नाला तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थी गण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमान् पटवारी, पटवार हल्का पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री बाबूलाल दगदी जाति माली निवासी आई.डी. एस.एम.टी कॉलोनी, अजमेर रोड, पुष्कर जिला अजमेर।
4. जयनारायण पुत्र श्री भंवरलाल दगदी जाति माली निवासी जयपुर घाट, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री जगदीश चौधरी, प्रार्थीगण
2.श्री फिरोज मोहम्मद,अप्रार्थी सं. 3,4
4.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्कि[illegible]दी के खसरा नंबर 685 के नवीन खसरे 2059, 2059/2901, 2040/2440, 2060, 20[illegible] 2902 की वर्किंग नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शे में अंकन व इन्द्राज कर दुरुस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:07:41 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 02.11.2021 को

11.4.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...लदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में ...कार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2212 दिनांक 02.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " बिन्दु संख्या 01 में दिये गये कथन अनुसार साबिक खसरा नम्बर 685 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की भूमि स्थित है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा 1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, 2034/2440 रकबा 0.42 व 2060/2902 रकबा 0.01 बने मिसल अनुसार जिसमें से खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2059/2901 रकबा 0.01 भागूसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत 1/2 हि. राहिन स्टेट बैक इण्डिया शाखा पुष्कर व मोहनसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत 1/2 हि. सा. देह खातेदार व खसरा नम्बर 2060 रकबा 1.04 खसरा नम्बर 2060/2902 रकबा 0.01 चम्पा देवी पत्नी बाबूलाल व जयनारायण पुत्र भंवरलाल जाति माली के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 2034/2440 रकबा 0.42 नगर पालिका पुष्कर के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का पुष्कर को प्रार्थी/वादी द्वारा उपलबध करवाये गये विक्रय पत्र की फोटो प्रति अनुसार वादीगण द्वारा 15.02.88 को भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा दिनांक 23.06.99 द्वारा खरीदा हुवा है। अतः वादी द्वारा पूर्व में खरीदा एवं प्रतिवादी द्वारा बाद में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि का साबिक खसरा 685 एक ही था जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार जांच की गई वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलग–अलग खाते कायम कर दिये जबकि विधिवत बंटवारा नहीं हुआ। अतः वादीगण द्वारा [illegible] गया कि बिना विधिक प्रक्रिया के अलग–अलग खाते कायम कर [illegible] जिन्हे दुरस्त करने हेतु वादीगण द्वारा वाद दायर किया गया। अतः साबिक [illegible] के नवीन खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा 1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, 2034/2440 रकबा 0.42 व 2060/2902 रकबा 0.01 में से खसरा नम्बर 2034/2440 रकबा 0.42 गै.मु.रास्ता जो आम रास्ता नगर पालिका के नाम दर्ज है। जिन्हे छोड़कर खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, व 2060/2902 रकबा 0.01 में सभी खातेदारों को सहखातेदार के रूप में वर्तमान हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा 1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, व 2060/2902 रकबा 0.01 किता 04 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर में भागूसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत हि. 6300/23100 व मोहनसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत हि. 6300/23100 व चम्पा पत्नी बाबूलाल जाति माली हि. 5250/23100 व जयनारायण पुत्र भंवरलाल जाति माली हि. 5250/23100 सहखातेदार के रूप में दर्ज करने पर पुनः साबिक रिकॉर्ड अनुसार सहखातेदार बन सकते है जिस संबंध में वादीगण द्वारा वाद दायर किया। साबिक रिकॉर्ड एवं वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार जांच कर तथ्य उल्लेखित कर निवेदन है कि नियमानुसार निर्णय किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:07:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हमने उभयपक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी। उभयपक्ष अभिभाषक ने बहस के दौरान दिनांक 08.04.2022 को आयोजित फॉलोअप कैम्प–गनाहेडा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 व 4 के लिए साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पुनः सहखातेदार बनाने की सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल, उभयपक्ष अभिभाषक की सहमति एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा 1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, व 2060/2902 रकबा 0.01 किता 04 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 3 लगायत 4 को सहखातेदार बनाया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 2059 रकबा 1.25, 2060 रकबा 1.04, 2059/2901 रकबा 0.01, व 2060/2902 रकबा 0.01 किता 04 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर में भागूसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत हि. 6300/23100 व [illegible] पुत्र प्रेमसिह जाति रावत हि. 6300/23100 व चम्पा पत्नी बाबूलाल जाति माली हि. 5250/23100 व जयनारायण पुत्र भंवरलाल जाति माली हि. 5250/23100 का उनके वर्तमान हिस्सानुसार सहखातेदार के रूप में दर्ज करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:07:41 IST
Reason: SelfAttested